

Order Sheet [Contd]

Case No 41 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
24.01.2017	<p>आवेदक/आरोपी दिनेश सिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी न्यायालय गोहद से प्र0क्र0 178/2013 ई.फौ. शासन पु. गोहद चौराहा वि0 महेन्द्र सिंह आदि का मूल अभिलेख प्राप्त।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक/आरोपी उसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में संचालित प्रकरण में पूर्व पेशी दिनांक 10.03.2016 को आवेदक की तबियत खराब होने से न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था और न ही अपने अभिभाषक को अनुपस्थित की सूचना दे पाया था, जिस कारण न्यायालय के द्वारा उसके जमानत मुचलके जप्त कर उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। आवेदक/आरोपी को दिनांक 18.01.2017 को पुलिस गोहद चौराहा के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है जो कि उक्त दिनांक से ही अभिरक्षा में है। आवेदक ग्राम सर्वा तहसील गोहद का स्थाई निवासी है। वह जमानत की प्रत्येक शर्त का पालन करेगा। अतः उसे उचित नियमित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी जिसके विरुद्ध धारा 457, 380 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित कर विचारण चल रहा है जो कि दिनांक 10.03.2016 को जबकि प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत था आवेदक के अनुपस्थित हो जाने से उसके जमानत मुचलके जप्त कर वारंट का आदेश हुआ है। तत्पश्चात् दिनांक 12.08.2016 को आरोपी के विरुद्ध</p>	

गैरम्यादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जिसके अनुपालन में आरोपी गिरफ्तार कर दिनांक 18.01.17 को न्यायालय में पेश किया गया है। आवेदक के द्वारा अनुपस्थिति का कारण उसका बीमार हो जाना बताया है। यद्यपि बीमारी के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं है, किन्तु आरोपी जो कि दिनांक 18.01.2017 से न्यायिक अभिरक्षा में है। वर्तमान आरोपी जिसकी अनुपस्थिति में शेष साक्षियों के कथन हुए हैं। उसके संबंध में प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आरोपी को उसकी अनुपस्थिति की पर्याप्त सबूत मिल चुकी है।

विचारोपरांत आवेदक/आरोपी की ओर से संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 20,000/- 20,000/- रूपए की दो सक्षम जमानतें एवं 40,000/- रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय का पेश हो कि वह प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा। आरोपी के पूर्व के मुचलके से राशि जप्त करने हेतु विचारण न्यायालय स्वतंत्र रहेगा। उक्त शर्तों के अधीन जमानत पेश हो तो उसे जमान पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित विचारण न्यायालय को बापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी0सी0थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)